पत्रांक—5 / न0वि0 / Smart City के लिए भूमि अधिग्रहण—07 / 2016—60

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

भूमि अधिग्रहण (TSP)

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

औपचारिक रूप से समर्पित

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक—20/06/18

विषयः राँची शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के निमित्त मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची परिसर स्थित चिन्हित कुल 656.30 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के आधुनिकीकरण हेतु Revival Package के रूप में निर्धारित कुल 721,93,00,000/— रू० (सात सौ इक्कीस करोड़ तिरानवे लाख रूपये) में से वित्तीय वर्ष 2018—19 में शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के TSP प्रक्षेत्र से कुल 150,00,00,000/— रू० (एक सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—5669, दिनांक—04.09.2017 द्वारा राँची शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के निमित्त मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची परिसर स्थित चिन्हित कुल 656.30 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के आधुनिकीकरण हेतु Revival Package के रूप में निर्धारित कुल 721,93,00,000/— रू० (सात सौ इक्कीस करोड़ तिरानवे लाख रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त क्रम में मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को अब तक कुल 429,57,00,000/—रू० उपलब्ध कराये जा चुके है जिसमे से मेसर्स ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लि० द्वारा कोर कैपिटल एरिया विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इसे आवंटित 337,00,00,000/—रू० तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा 92,57,00,000/—रू० मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को उपलब्ध कराये गये है। विभाग द्वारा आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत है :—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	राशि
1	2016—17	41/27.05.2016	62,57,00,000
2		42/27.05.2016	10,00,00,000
3		43/27.05.2016	20,00,00,000
		कुल :—	92,57,00,000

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018—19 में शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के TSP प्रक्षेत्र से कुल 150,00,00,000/— रू० (एक सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र राशि मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि मांग संख्या—48, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) मुख्य शीर्ष—2217—शहरी विकास—उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य—लघुशीर्ष—796— जनजातीय क्षेत्र उप योजना—उपशीर्ष 56—शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान—विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान—79—सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के विपत्र कोड— 48S221780796560679 के अंतर्गत उपबंधित कुल 350.00 करोड़ में से विकलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि का निकासी कर मेसर्स

भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची (HEC Ltd., Ranchi) के नाम से Bank Draft, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को भूमि प्रत्यर्पण के विरूद्ध राशि का भुगतान किया जा सके।

6. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10. विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016–17) में उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकृत 92.57 करोड़ रू० विभागीय पत्रांक–2858 (अनु०) दिनांक–26.04.2017 द्वारा मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को हस्तांतरण हेतु उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध करा दी गयी है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–301, दि०–11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/Smart City के लिए भूमि अधिग्रहण–07/2016–...60...., दि०– 20/06/18

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, उद्योग विभाग/निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड/सी.एम.डी., मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासनिक), जुडको लि०, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय लेखा शाखा को दो प्रति में, श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।